कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0 56/2017–18

श्री शक्ति कान्त सिन्हा,
पिता स्व0 सरयु नारायण प्रसाद,
गुमो, झु0 ति0,
जिला कोडरमा।

06/9/17 जिला अवर निबंधक, कोडरमा के पत्रांक 160 दिनांक 04/8/17 से कोडरमा अंचल अन्तर्गत मौजा गुमो, खाता नं0 319, प्लॉट नं0 5833 से संबंधित भूमि को बिक्री किये जाने के उद्देश्य से मुख्तारनामा दस्तावेज शक्ति कान्त सिन्हा, पिता स्व0 सरयु नारायण प्रसाद, ग्राम गुमो, झुमरी तिलैया द्वारा जोवराज पाण्डेय पिता स्व0 श्यामलाल पाण्डेय, ग्राम गुमो, झुमरी तिलैया के पक्ष में निष्पादित कर निबंधन हेतु अनुरोध किया गया है। निबंधन प्रकिया पूर्ण करने के क्रम में श्री तारकेश्वर प्रसाद (अधिवक्ता) पिता स्व0 बिन्देश्वरी प्रसाद, सा0 गुमो, झुमरी तिलैया द्वारा आपति आवेदन प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त मुख्तारनामा में वर्णित खाता प्लॉट की भूमि उनकी मां उमा सुन्दरी देवी द्वारा वर्ष 1948 में दस्तावेज सं0 4160 द्वारा क्रय किया गया है। उपरोक्त भूमि के संबंध में गहन जांच कर प्रतिवेदन की मांग किया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 24/10/17 को उपस्थापित करें।

06/09/2017
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

24/10/17
23/4/18 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा मौजा गुमो, खाता नं0 319, प्लॉट नं0 5833 से संबंधित जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अतएव उभय पक्ष को नोटिश निर्गत कर कागजात की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 05/05/18 को उपस्थापित करें।

23/04/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Scanned with CamScanner

अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्ष उपस्थित होकर अपने अपने दावों के समर्थन में राजस्व कागजातों के साथ उपस्थित हैं। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा गुमो, खाता नं0 319, प्लॉट नं0 5833 रैयती खाते की भूमि है। उक्त भूमि से संबंधित जमाबन्दी पंजी II के पेज नं0 321, भौलूम नं0 01 पर खाता नं0 319, रकबा 32 डी0 का जमाबन्दी मुंशी लाल पिता मोहन लाल के नाम से दर्ज है। पंजी II में प्लॉट नं0 दर्ज नहीं है। अन्तिम लगान रसीद 2015-16 तक निर्गत है। उक्त जमीन को श्री शक्तिकान्त सिन्हा पिता स्व0 सरयु नारायण सिन्हा के द्वारा श्री जोबराज पाण्डेय पिता श्यामलाल पाण्डेय सा0 गुमो को बिक्री हेतु पावर ऑफ अटर्नी दिया जा रहा है। जिस पर श्री तारकेश्वर प्रसाद पिता स्व0 बिन्देश्वरी प्रसाद सा0 चित्रगुप्त नगर, झुमरी तिलैया द्वारा आपत्ति किया गया है। उक्त विषय के संबंध में स्थानीय जांच में तारकेश्वर प्रसाद द्वारा बतलाया गया कि उक्त भूमि पूर्व में ही मेरी मां उमा सुन्दरी पति बिन्देश्वरी प्रसाद के नाम से केवाला नं0 4160 दिनांक 07.07.1948 को खरीदा गया है, जिसका केवाला प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि से संबंधित लगान रसीद का छायाप्रति भी दिखाया गया। जिसमें खाता नं0 319 रकबा 64 डी0 उमा सुन्दरी देवी पति बिन्देश्वरी प्रसाद के नाम से वर्ष 1986-87 तक रसीद निर्गत है। जिसमें पेज नं0 98, भौलूम नं0 III दर्ज है। मौजा गुमो का भौलूम नं0 III क्षतिग्रस्त होने के कारण उक्त भूमि का जमाबन्दी स्पष्ट नहीं हो पाता है। श्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा बतलाया गया कि खाता नं0 319, प्लॉट नं0 5823 का कुल रकबा 64 डी0 का भूमि जो कि मेरी मां उमा सुन्दरी देवी के नाम से खरिदा जा चुका है। उक्त खाता प्लॉट के कुल रकबा 64 डी0 के मद्धे 45 डी0 भूमि रजिस्टर्ड केवाला द्वारा बिक्री किया जा चुका है। शेष 19 डी0 भूमि पर मेरा दखल कब्जा है। श्री शक्ति कान्त सिन्हा द्वारा बतलाया गया कि उक्त भूमि में 32 डी0 का जमाबन्दी मेरे दादा मुंशी लाल के नाम से दर्ज है, जो कि हुकुमनामा द्वारा कढ़ो लाल पिता लाटो लाल से प्राप्त है। उक्त प्लॉट का कुल रकबा 64 डी0 है, जबकि श्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा 45 डी0 जमीन बेचने के उपरांत मात्र 19 डी0 भूमि बचता है। श्री तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा बिक्री किए हुए भूमि से संबंधित दो केवाला, जिसका केवाला सं0 5110 दिनांक 07.10.2013 एवं दुसरा केवाला सं0 5109 दिनांक 07.10.2013 दिखाया गया जो, प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। श्री तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा विवादित भूमि से संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा में चल रहे मुकदमा का एक नोटिस का छायाप्रति भी दिखाया गया है, प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। दोनों पक्षों के द्वारा एक ही भूमि पर अपना अपना दावा बताया जा रहा है, विवादास्पद प्रतीत होता है। मामला स्वत्व वाद का है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन एवं उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा गुमो, खाता नं0 319, प्लॉट नं0 5833, रकबा 64 डी0 भूमि पर दोनों पक्षों के द्वारा अपना अपना दावा किया जा रहा है। जो स्वत्व का मामला बनता है। जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय से ही संभव है। विक्षुब्ध पक्ष अगर चाहें तो सक्षम न्यायालय की शरण ले सकते हैं।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Scanned with CamScanner